



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Ref no: AAI/RNC/CNS/APT-03/FL-26 **1560-61**

Date: 10.02.2021

सेवा में

मेसर्स पूजा बिल्डकॉन कंस्ट्रक्शन,
1616/23, विजय नगर,
गोहाना बाय पास,
जींद, हरयाणा-126102

M/s Pooja Buildcon Construction.
1616/23Vijay Nagar,
Gohana Bye Pass.
JIND, Haryana-126102

विषय: बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची में सी.एन.एस. उपकरणों की 12 महीनों के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट द्वारा रख
रखाव में सहयोग हेतु कार्य आदेश।

Subject: Work Order for assisting in Upkeep of CNS facilities at B.M Airport, Ranchi for period of 12 months under Job Contract.

संदर्भ : ई निविदा संख्या : 2020_AAI_64093_1

Reference: E-Tender Id: 2020_AAI_64093_1

महोदय,

1. ऊपर उल्लिखित कार्य हेतु आपकी निविदा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से, आपके द्वारा बताए गए मद (रु.13,884/- प्रति अकुशल व्यक्ति प्रति माह) पर, कुल रु. 4,99,824 (चार लाख निन्यानवे हजार आठ सौ चौबीस मात्र) (प्लस जीएसटी और लागू ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस प्रतिपूर्ति पर), तीन (03) अकुशल श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए, स्वीकृत किया जाता है।

Your tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of the Chairman, Airports Authority of India, at the Item Rate quoted (Rs.13,884/- per un-skilled person per month) by you totaling to Rs. 4,99,824 (Four Lakh Ninety-Nine Thousand Eight Hundred Twenty-Four only) (Plus GST and applicable EPF, ESIC & Bonus on reimbursement) for providing three (03) unskilled manpower.

as entered in the tender is 12 (Twelve) Months and the same shall be reckoned from date of agreement.

6. वेतन का वितरण ई-निविदा के अनुबंध-IV पारा 11.3 में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार करेंगे।

The disbursement of wages shall be done as mention in Annexure-IV Para 11 of E-tender.

7. इस विभाग में तैनात सभी मजदूरों को कंपनी / फर्म / एजेंसी द्वारा मासिक आधार पर उनके वेतन का भुगतान व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा और प्रत्येक माह के अंत से पहले एएआई को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

All the labourers deployed in this Department will be paid their wages on monthly basis by the Company/ Firm/Agency through individual bank accounts and documentary evidence shall be submitted to AAI before the end of each month.

8. ठेका कंपनी / फर्म / एजेंसी व्यक्तिगत आकस्मिक श्रम के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी, जो कार्य के प्रारंभ होने से पहले इस विभाग में इसके द्वारा तैनात किया जाएगा: (ए)। तैनात व्यक्तियों की सूची (बी) फोटोग्राफ और एड्रेस प्रूफ के साथ पहचान पत्र।

The contracting Company/ Firm/Agency shall furnish the following documents in respect of the individual casual labour who shall be deployed by it in this Department before the commencement of work: (a). List of persons deployed (b) Identity Cards bearing photograph and address proof.

9. प्राधिकरण, एजेंसी को एक महीने का नोटिस देने के बाद अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

Authority reserves right to terminate the contract during the period of contract after giving a month notice to the agency.

10. सेवा प्रदाता एएआई, बीएम एयरपोर्ट, रांची को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक माह की 25 तारीख तक ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जी.एस.टी. आदि के जमा के समर्थन में संबंधित कर्मचारियों की दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि सभी कटौती खाते में जमा और जमा की गई है, ताकि कार्यालय द्वारा ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जी.एस.टी. आदि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

Service provider shall submit documentary proof in support of deposit of EPF, ESI, Bonus, service tax etc. by 25th of next month to satisfy the AAI, B.M Airport, Ranchi that a deduction has been made,

अभिषेक कुमार भूषण
15/02/2024
Avinash Mani Bhatnagar Soreng
प्रदाता प्रबंधक
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
मुम्बई हवाई अड्डा, प्लॉट-2
Bandra Airport, Ranchi
Page 3 of 6

deposited and credited into the account of the concerned staff, so that the same can be reimbursed from the office.

11. सेवा प्रदाता अनुबंध के प्रभार ग्रहण के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के साथ ईपीएफ और ईएसआई के लिए तैनात श्रमिकों के खाते खोल देगा। ईपीएफ लेखा नगों को दर्शाने वाली सूची। खाते के विवरण के साथ श्रमिकों के विभाग को 1 भुगतान जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। एक महीने के बाद जिन श्रमिकों के पास ईएसआईसी कार्ड नहीं है उन्हें कार्य के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

Service provider shall open accounts of workers so deployed for EPF and ESI with the competent authority within 15 days of the assumption of the charge of the Contract. List indicating EPF Accounts Nos. of the workers with detail of account should be submitted to the Department, within 15 days of release of 1st payment. After one-month workers those have not a ESIC card will be not permitted for the work.

12. यदि सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी किसी भी कारण से इयूटी से छुट्टी या अनुपस्थित है, तो ऐसी सूचना सेवा प्रदाता को 24 घंटे के भीतर स्थानापन्न / प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा अन्यथा सेवा प्रदाता ऐ.ऐ.आई. को दोगुनी मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐ.ऐ.आई. को ऐसी अवधि तक यह राशि प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा से कटौती की जा सकती है। विभाग इस अवधि के दौरान सेवा प्रदाता के अनुपस्थित कर्मचारी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य सौंपने का अधिकार रखता है।

In case any employee of service provider is on leave or absent from the duty for any reasons, upon such intimation service provider should provide substitute/ replacement within 24 hours failing which service provider shall be liable to pay the double amount of wages to the AAI till such period his substitute is provided. This amount should be deducted from Performance Bank Guarantee/ Security Deposit. Department reserves the right to assign duties to any person against absent employee of the service provider during this period.

13. भविष्य निधि से सभी कामगारों के ऑनलाइन विवरण और उसी उसी अवधि के ई.एस.आई.सी. भुगतान विवरण के साथ प्राप्त आवेदन के बाद सिम्योरिटी डिपॉजिट को काम पूरा होने की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि 06 महीने के भीतर आवेदन प्राप्त नहीं होगा, तो संस्थान के खाते में जमा किया जाएगा और उसके बाद कोई दावा नहीं किया जाएगा।

The Security Deposit thus recovered will be refunded after completion of 12 month from the date of work completion, after the receipt of application from you, with provident fund paid yearly online statement of all workers and ESIC payment details of same period to that effect. If the application will not be received within 06 months, the same will be credited to the Institute account and there after no claim will be entertained.

अविनाश मणि भूषण सोरेण
17/02/2024
अविनाश मणि भूषण सोरेण
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
इवाई अड्डा, रॉन्ची-2
Ranchi-2

14. ठेकेदार को उपठेकेदार को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर पाया गया तो, कार्य आदेश समाप्त हो जाएगा और आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

Contractor shall not be allowed to sublet the work to subcontractor, if found said work will be terminated and you will be blacklisted.

15. एएआई परिसर में प्रचलित सभी सुरक्षा और सुरक्षा नियमों, विनियमों और प्रथाओं को ठेकेदार और ठेकेदार मजदूरों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

All safety & security rules, regulations and practices prevalent in the AAI campus should be strictly followed by the contractor and contractor labours.

16. ठेकेदार को अपनी लागत पर अपने मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

The contractor shall make necessary arrangement of welfare and health of their labours at his own cost.

17. यदि ठेकेदार अपने व्यक्तिगत कारण के कारण, समय समाप्त होने से पहले अनुबंध वापस लेना चाहता है, तो ठेकेदार को सीएनएस प्रभारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित अनुरोध देना चाहिए। अनुबंध वापस लेने के बाद, EMD और सुरक्षा जमा राशि ठेकेदार को वापस नहीं की जाएगी।

If the contractor wants to withdraw the contract before expiring date, due to their personal reason, at that time, the contractor should give written request at least three months in advance to the CNS In-Charge. After withdrawing contract, the EMD & Security deposit amount will not be refunded to the contractor.

18. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर रखना सख्त वर्जित है।

Engagement of Person for work below 18 years age is strictly prohibited.

19. ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए हवाई अड्डे के प्रवेश पास की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा।

Contractor shall be responsible to arrange Airport Entry passes for his workers.

20. ठेकेदार अपने श्रमिकों को ए.ए.आई. एम्प्लॉईस से अलग वर्दी प्रदान करेगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों को कर्मचारी पहचान पत्र प्रदान करेगा। हवाई अड्डे के परिसर में वर्दी और कर्मचारी पहचान पत्र अनिवार्य होगा।

Contractor shall provide Uniform to its worker different from AAI employees. Contractor shall provide employee identity card to its worker. Uniform and Employee identity card will be mandatory in Airport premises.

अविनाश मणि भूषण सोहरा
18/01/2021
Avinash Mani Bhushan Sohra
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, राँची-2
Birsamunda Airport, Ranchi-2
Page 5 of 6

21. इस ठेके के संबंध में आगे का पत्राचार प्रभारी (संचार) के पते पर किया जाये ।

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the CNS-In-Charge.

22. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का झारखण्ड राज्य का GSTIN रजिस्ट्रेशन 20AAACA6412D1ZM है ।

The GSTIN Registration No. of AAI is 20AAACA6412D1ZM for Jharkhand State.

23. उपरोक्त संदर्भित सभी पत्र तथा निविदा दस्तावेज इस ठेके के भाग होंगे तथा इनका अनुपालन करना अनिवार्य है ।

All the letters, conditions referred above and tender documents shall form part of contract and must be complied.

24. सभी कार्यों की पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

It will be your responsibility to supervise the nature and quality of work done.

25. टैक्स इन्वॉइस इस ऑफिस को हर दो माह में जमा करना होगा ।

Tax Invoice shall be submitted to this office every bi-monthly.

26. कृपया पावती भेजें ।

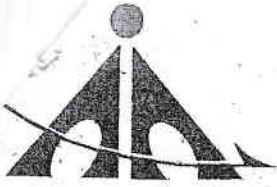
Please acknowledge the receipt.

धन्यवाद / Thanking You,

अतिरिक्त सचिव
16/02/2021
(अविनाश मणि भूषण सोरेण)
सहायक महाप्रबंधक (संचार) (संचार)
एएआई, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा (राँची)
अविनाश मणि भूषण सोरेण
AGM (S) (ELE)
भारतीय विमानपत्तन
Airports Authority
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा
Birsamunda Airport

आंतरिक: -

1. उपमंप्र०(वित्), भा०वि०प्रा०, बि०मु० हवाई अड्डा राँची ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Ref no: AAI/RNC/CNS/APT-03/FL-26 /562-63

Date: 10.02.2021

सेवा में

To,

मेसर्स किशोर साह
हुन्दरु, रांची हवाई अड्डा के नजदीक,
पोस्ट: हटिया
पुलिस स्टेशन : डोरंडा
रांची, झारखंड- 834002

M/s Kishor Sahu
Hundru, Near Ranchi Airport,
P.O -Hatia.
P.S-Doranda, Ranchi.
Ranchi, Jharkhand-834002

विषय: बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची में सी.एन.एस. उपकरणों की 12 महीनों के लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट द्वारा रख रखाव में सहयोग हेतु कार्य आदेश।

Subject: Work Order for assisting in Upkeep of CNS facilities at B.M Airport, Ranchi for period of 12 months under Job Contract.

संदर्भ : ई निविदा संख्या : 2020_AAI_64093_1

Reference: E-Tender Id: 2020_AAI_64093_1

महोदय,

- ऊपर उल्लिखित कार्य हेतु आपकी निविदा, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से, आपके द्वारा बताए गए मद (रु.15,678/- प्रति अर्ध-कुशल व्यक्ति प्रति माह एवं रु.13,884/- प्रति अकुशल व्यक्ति प्रति माह) पर, कुल रु. 3,54,744 (तीन लाख चौद्वन हजार सात सौ चौवालीस मात्र) (जी.एस.टी. रहित एवं प्रतिपूर्ति द्वारा ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. & बोनस), एक (01) अर्ध-कुशल और एक (01) अकुशल श्रमशक्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृत किया जाता है।

Your tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of the Chairman, Airports Authority of India, at the Item Rate quoted (Rs.15,678/- per semi-skilled person per month and Rs.13,884/- per un-skilled person per month) by you totaling to Rs. 3,54,744 (Three Lakh Fifty-Four Thousand Seven Hundred Forty-Four only) (Plus GST and applicable EPF, ESIC & Bonus on reimbursement) for providing one semi-skilled and one un-skilled manpower.

2. सहायक महाप्रबंधक (संचार), भा वि प्रा, राँची विमानक्षेत्र, कार्य के प्रभारी अधिकारी होंगे। आपसे निवेदन है कि आप करारनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए दिनांक 18.02.2021 तक सहायक महाप्रबंधक (संचार) भा.वि. प्रा., राँची विमानक्षेत्र, राँची के कार्यालय में उपस्थित हों तथा करारनामे को पूरा करें। ठेके का करारनामा सौ रु. 100.00 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर निष्पादित किया जायेगा जिसका खर्च आपके द्वारा वहन किया जाएगा।

Assistant General Manager (CNS), AAI, Ranchi shall be the Officer in-charge of the work. You are requested to attend the office of the Assistant General Manager (CNS), AAI, Ranchi Airport to sign and complete the agreement on or before 18.02.2021. The contract agreement shall be executed on Non-Judicial stamp paper of value Rs. 100.00 and the cost of the stamp paper shall be borne by you.

3. निविदा के पारा 8. (a) पृष्ठ-4 के अनुसार आपको उद्धृत दर (Quoted Rate) का 10 % जमानत राशि जमा करना है। कृपया इस पत्र की जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर जमानत राशि रु. 35474/- (रुपया पैंतीस हजार चार सौ चौहतर मात्र) जमा करें अन्यथा यह राशि आपके रनिंग बिल से काट ली जाएगी।

Security deposit shall be 10% (of Quoted Rate) as per condition 8.a on page 4 of tender document.

Please deposit Rs.35474 (Rupees Thirty-Five Thousand Four Hundred Seventy-Four Only) towards security deposit within 15 days from the date of issue of this letter, failing which, the same will be deducted from running bills.

4. आपसे निवेदन है की केन्द्रीय और राज्य सरकारों के 1970 के अधिनियम अनुबंध श्रम नियम तथा 1971 के केन्द्रीय नियम अनुबंध श्रम नियम (नियमन तथा उन्मूलन) एवं केंद्र सरकार भारत के न्यूनतम वेतन और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करें। पीएफ, ईएसआई तथा बोनस और अन्य सुविधायें जैसा निविदा पत्र में वर्णित है उसे अनुपालन करना अनिवार्य है। संवेदक को यह निर्देश दिया जाता है की वे अपने कर्मचारियों को वेज अवधि के खत्म होने के सात दिन के भीतर न्यूनतम वेतन (पीएफ, ईएसआई तथा बोनस सहित) का भुगतान सुनिश्चित करें (निविदा दस्तावेज के पारा 11.3 के अनुसार)

You are requested to comply with the provision of Contract Labor (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labor (Regulation and Abolition) Central Rules 1971 and minimum wages act rules thereof Central Government of India. PF, ESI & Bonus and other allowances as described in tender documents must be complied. Payment of minimum wages

(Including PF, ESI, Bonus etc.) Must be made by the Contractor to his employees before expiry of 7 days from the last day of wage period (As per Para 11.3 of tender documents).

5. आपको निर्देश दिया जाता है कि आप तुरंत सहायक महाप्रबंधक (संचार), भा. वि. प्रा., राँची विमानक्षेत्र, राँची से मिलें वह आपको कार्य संबंधित उचित निर्देश प्रदान करेंगे। कृपया नोट करें कि काम करने का कुल समय 12 माह है जो कि करारनामा के दिन से माना जाएगा।

You are also directed to contact AGM(CNS), AAI, Ranchi immediately who shall provide necessary instructions for implementation of contract. Please note that the time allowed for carrying out the work

आविनाश मणिप्रसाद सोरेण
Avinash Mani Prasad Soren
सहायक महाप्रबंधक (संचार)
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, राँची-2
Munda Airport, Ranchi-2
Page 2 of 6
31/01/2021

as entered in the tender is 12 (Twelve) Months and the same shall be reckoned from date of agreement.

6. वेतन का वितरण ई-निविदा के अनुबंध-IV पारा 11.3 में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार करेंगे।

The disbursement of wages shall be done as mention in Annexure-IV Para 11 of E-tender.

7. इस विभाग में तैनात सभी मजदूरों को कंपनी / फर्म / एजेंसी द्वारा मासिक आधार पर उनके वेतन का भुगतान व्यक्तिगत बैंक खातों के माध्यम से किया जाएगा और अगला माह के 7 तारीख तक एएआई को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

All the labourers deployed in this Department will be paid their wages on monthly basis by the Company/ Firm/Agency through individual bank accounts and documentary evidence shall be submitted to AAI by 7th of the following month

8. ठेका कंपनी / फर्म / एजेंसी व्यक्तिगत आकस्मिक श्रम के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी, जो कार्य के प्रारंभ होने से पहले इस विभाग में इसके द्वारा तैनात किया जाएगा: (ए)। तैनात व्यक्तियों की सूची (बी) फोटोग्राफ और एड्रेस प्रूफ के साथ पहचान पत्र।

The contracting Company/ Firm/Agency shall furnish the following documents in respect of the individual casual labour who shall be deployed by it in this Department before the commencement of work: (a). List of persons deployed (b) Identity Cards bearing photograph and address proof.

9. प्राधिकरण, एजेंसी को एक महीने का नोटिस देने के बाद अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है।

Authority reserves right to terminate the contract during the period of contract after giving a month notice to the agency.

10. सेवा प्रदाता एएआई, बीएम एयरपोर्ट, रांची को संतुष्ट करने के लिए अगला माह की 25 तारीख तक ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जी.एस.टी. आदि के जमा के समर्थन में संबंधित कर्मचारियों की दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि सभी कटौती खाते में जमा और जमा की गई है, ताकि कार्यालय द्वारा ईपीएफ, ईएसआई, बोनस, जी.एस.टी. आदि की प्रतिपूर्ति की जा सके।

अभिगिर 21/2/2021
15/02/2021
अविनाश मणि भूषण सोरेण
Avinash Mani Bhushan Soreng
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, रांची-2
Birsa Munda Airport, Ranchi-2

Service provider shall submit documentary proof in support of deposit of EPF, ESI, Bonus, service tax etc. by 25th of next month to satisfy the AAI, B.M Airport, Ranchi that all deduction has been made, deposited and credited into the account of the concerned staff, so that the same can be reimbursed from the office.

11. सेवा प्रदाता अनुबंध के प्रभार ग्रहण के 15 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के साथ ईपीएफ और ईएसआई के लिए तैनात श्रमिकों के खाते खोल देगा। ईपीएफ लेखा नगों को दर्शाने वाली सूची। खाते के विवरण के साथ श्रमिकों के विभाग को 1 भुगतान जारी होने के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना चाहिए। एक महीने के बाद जिन श्रमिकों के पास ईएसआईसी कार्ड नहीं है उन्हें कार्य के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

Service provider shall open accounts of workers so deployed for EPF and ESI with the competent authority within 15 days of the assumption of the charge of the Contract. List indicating EPF Accounts Nos. of the workers with detail of account should be submitted to the Department, within 15 days of release of 1st payment. After one-month workers those have not a ESIC card will be not permitted for the work.

12. यदि सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी किसी भी कारण से इयूटी से छुट्टी या अनुपस्थित है, तो ऐसी सूचना सेवा प्रदाता को 24 घंटे के भीतर स्थानापन्न / प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा अन्यथा सेवा प्रदाता ए.ए.आई. को दोगुनी मजदूरी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ए.ए.आई. को ऐसी अवधि तक यह राशि प्रदर्शन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा से कटौती की जा सकती है। विभाग इस अवधि के दौरान सेवा प्रदाता के अनुपस्थित कर्मचारी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को कर्तव्य सौंपने का अधिकार रखता है।

In case any employee of service provider is on leave or absent from the duty for any reasons, upon such intimation service provider should provide substitute/ replacement within 24 hours failing which service provider shall be liable to pay the double amount of wages to the AAI till such period his substitute is provided. This amount should be deducted from Performance Bank Guarantee/ Security Deposit. Department reserves the right to assign duties to any person against absent employee of the service provider during this period.

13. भविष्य निधि से सभी कामगारों के ऑनलाइन विवरण और उसी उसी अवधि के ई.एस.आई.सी. भुगतान विवरण के साथ प्राप्त आवेदन के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट को काम पूरा होने की तारीख से 12 महीने पूरे होने के बाद वापस कर दिया जाएगा। यदि 06 महीने के भीतर आवेदन प्राप्त नहीं होगा, तो संस्थान के खाते में जमा किया जाएगा और उसके बाद कोई दावा नहीं किया जाएगा।

The Security Deposit thus recovered will be refunded after completion of 12 month from the date of work completion, after the receipt of application from you, with provident fund paid yearly online statement of all workers and ESIC payment details of same period to मणि भूषण सोरेण

अविनाश सोरेण
10/04/2024

अविनाश मणि भूषण सोरेण
Avinash Mani Bhushan Soren
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
निर्माणपत्र प्रतिकरण

that effect. If the application will not be received within 06 months, the same will be credited to the Institute account and there after no claim will be entertained.

14. ठेकेदार को उपठेकेदार को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर पाया गया तो, कार्य आदेश समाप्त हो जाएगा और आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।

Contractor shall not be allowed to sublet the work to subcontractor, if found said work will be terminated and you will be blacklisted.

15. एएआई परिसर में प्रचलित सभी सुरक्षा और सुरक्षा नियमों, विनियमों और प्रथाओं को ठेकेदार और ठेकेदार मजदूरों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

All safety & security rules, regulations and practices prevalent in the AAI campus should be strictly followed by the contractor and contractor labours.

16. ठेकेदार को अपनी लागत पर अपने मजदूरों के कल्याण और स्वास्थ्य की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।

The contractor shall make necessary arrangement of welfare and health of their labours at his own cost.

17. यदि ठेकेदार अपने व्यक्तिगत कारण के कारण, समय समाप्त होने से पहले अनुबंध वापस लेना चाहता है, तो ठेकेदार को सीएनएस प्रभारी को कम से कम तीन महीने पहले लिखित अनुरोध देना चाहिए। अनुबंध वापस लेने के बाद, EMD और सुरक्षा जमा राशि ठेकेदार को वापस नहीं की जाएगी।

If the contractor wants to withdraw the contract before expiring date, due to their personal reason, at that time, the contractor should give written request at least three months in advance to the CNS In-Charge. After withdrawing contract, the EMD & Security deposit amount will not be refunded to the contractor.

18. 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को काम पर रखना सख्त वर्जित है।
Engagement of Person for work below 18 years age is strictly prohibited.

19. ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए हवाई अड्डे के प्रवेश पास की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होगा।
Contractor shall be responsible to arrange Airport Entry passes for his workers.

20. ठेकेदार अपने श्रमिकों को ए.ए.आई. एम्प्लॉईस से अलग वर्दी प्रदान करेगा। ठेकेदार अपने श्रमिकों को कर्मचारी पहचान पत्र प्रदान करेगा। हवाई अड्डे के परिसर में वर्दी और कर्मचारी पहचान पत्र अनिवार्य होगा।

अविनाश मणि भूषण सोरेण
Avinash Mani Bhushan Soreng
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, पृष्ठ 2
Birsamunda Airport, Ranchi-2
Page 5 of 6

Contractor shall provide Uniform to its worker different from AAI employees. Contractor shall provide employee identity card to its worker. Uniform and Employee identity card will be mandatory in Airport premises.

21. इस ठेके के संबंध में आगे का पत्राचार प्रभारी (संचार) के पते पर किया जाये |

Any further correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the CNS-In-Charge.

22. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का झारखण्ड राज्य का GSTIN रजिस्ट्रेशन 20AAACA6412D1ZM है |
The GSTIN Registration No. of AAI is 20AAACA6412D1ZM for Jharkhand State.

23. उपरोक्त संदर्भित सभी पत्र तथा निविदा दस्तावेज इस ठेके के भाग होंगे तथा इनका अनुपालन करना अनिवार्य है |

All the letters, conditions referred above and tender documents shall from part of contract and must be complied.

24. सभी कार्यों की पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

It will be your responsibility to supervise the nature and quality of work done.

25. टैक्स इन्वॉइस इस ऑफिस को हर दो माह में जमा करना होगा |

Tax Invoice shall be submitted to this office every bi-monthly.

26. कृपया पावती भेजें |

Please acknowledge the receipt.

धन्यवाद / Thanking You,


(अविनाश मणि भूषण सोरेंग)

सहायक महाप्रबंधक (संचार) (संचार)

एएआई, बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, राँची
Avinash Mani Bhushan Soreng
सहायक महाप्रबंधक संचार
AGM CNS (ELEX)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
Airports Authority of India
बिरसा मुण्डा हवाई अड्डा, राँची-2
Birsa Munda Airport, Ranchi-2

आंतरिक: -

1. उपमंप्र०(वित्), भा०वि०प्रा०, बि०मु० हवाई अड्डा राँची |